न्यायालय सेशन न्यायाधीश (विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण), राजसमंद (राज0)

पीठासीन न्यायाधीश : अनंत भंडारी, आरजेएस
(डी.जे. कैडर)

दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–27 / 2022
सीआईएस. नंबर–31 / 2022
(CNR No. RJRSO10000512022)

प्रकरण संख्या 09 / 2021 राज्य बनाम भगवानलाल व अन्य एन.डी.पी.एस.एक्ट

1. नारायणलाल पुत्र तेजाराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी पीपलाज, पुलिस थाना बगड़ी नगर, जिला पाली (राज0)
2. जेठाराम पुत्र गुमानाराम, उम्र 45 वर्ष, निवासी देवासियों की ढाणी, पुलिस थाना बगड़ी नगर, जिला पाली (राज0) ..... प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, राजसमन्द
.....विपक्षी / अभियोगी

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–475 / 2020 पुलिस थाना, देवगढ़
अपराध अन्तर्गत धारा 8 / 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता

उपस्थिति :–

1 श्री रामचन्द्र देवपुरा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / अभियुक्तगण।

2. श्री जयदेव कच्छावा, विद्वान लोक अभियोजक।

: आदेश :

दिनांक : 10.01.2022

1. यह द्वितीय जमानत आवेदन प्रार्थीगण / अभियुक्तगण नारायणलाल व जेठाराम की ओर से धारा 439 द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी नारायण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2021 को खारिज किया गया था। इसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय में नोट प्रेस किये जाने से खारिज किया गया एवं प्रार्थीगण को छूट दी गई कि वह अनुसंधान अधिकारी के बयान लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् पुनः जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रकरण में न्यायालय में अनुसंधान

अधिकारी नरपतसिंह पी.डब्ल्यू. 1 व गजेन्द्रसिंह पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में बयान लेखद्ध किये जा चुके हें।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.2020 को पुलिस थाना देवगढ़ द्वारा नाकाबंदी के दौरान कामलीघाट चौराहे पर वाहन संख्या एम.एच. 12 एच.वी. 8704 को रोककर उसकी तलाशी लेने पर अभियुक्तगण भगवानलाल, भंवरलाल व जमनालाल के कब्जे के वाहन से 20 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जो 20 लाख रूपये में खरीदना बताया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया व मौके की आवश्यक कार्यवाही की और पर्चा कायमी मुर्तिब की, जिसके आधार पर पुलिस थाना, देवगढ़ पर प्राथमिकी संख्या 475/2020 अन्तर्गत धारा 8/18, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर बाद अन्वेषण अभियुक्त भगवानलाल के विरूद्ध धारा 8/18, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट, जमनालाल के विरूद्ध धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट, भंवरलाल के विरूद्ध धारा 8/18, 27ए एन.डी.पी.एस. एक्ट, जेठाराम के विरूद्ध धारा 8/29, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट व नारायणलाल के विरूद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पत्रावली अभी साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर है। इस स्टेज पर प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क है कि जिस वाहन को रोका गया, उसमें तीन व्यक्ति भगवानलाल, भंवरलाल और जमनालाल बैठे थे, उनके पास से 20 किलो अफीम बरामद होना पुलिस ने बताया है। वर्तमान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई अफीम बरामद नहीं हुई है। 20 किलोग्राम अफीम 20 लाख रूपये में अभियुक्तगण भगवानलाल, जमनालाल व भंवरलजाल द्वारा क्रय करना बताया है, उसी दिन प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नारायण व जेठाराम को भी गिरफ्तार करना बताया है परन्तु प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पास से कोई अफीम बरामद नहीं हुई, न ही कोई 20 लाख रूपये की खरीद के सम्बन्ध में कोई रकम ही बरामद हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई है जो व्यावसायिक मात्रा से काफी अधिक है। इस प्रकरण में

कोई नकद राशि बरामद नहीं हुई क्योंकि 20 लाख रूपये की राशि का आदान प्रदान बाद में किया जाना था। वर्तमान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर उक्त मादक पदार्थ क्रय करने का आरोप हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अफीम का परिवहन करवा रहे थे। इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध 20 किलोग्राम अफीम को क्रय कर उसका परिवहन करने का गम्भीर आरोप है। अफीम के साथ सहअभियुक्तगण भंवरलाल, भगवानलाल व जमनालाल को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नारायणलाल व जेठाराम को अन्य वाहन में गिरफ्तार किये गये थे, जिनके द्वारा अफीम क्रय करके उसे अपने गांव बगड़ी नगर व पीपलाज, जिला पाली तक पहुंचाने हेतु कहा गया था। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ न दिया जावे।

5. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया।

6. इस प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अवैध अफीम क्रय कर के उसका परिवहन करने का गम्भीर प्रकृति का आरोप है। जो अफीम बरामद हुई है, वह वाणिज्यिक मात्रा से काफी अधिक है। वर्तमान प्रार्थीगण के द्वारा अफीम क्रय कर उसका परिवहन करवाने का आरोप प्रार्थीगण है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बगैर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नारायणलाल पुत्र तेजाराम, निवासी पीपलाज व जेठाराम पुत्र गुमानाराम, निवासी देवासियों की ढाणी, पुलिस थाना बगड़ी नगर, जिला पाली (राज0) की ओर से, पुलिस थाना देवगढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 475/2020 (इस न्यायालय के एनडीपीएस. प्रकरण संख्या 09/2021 राज्य बनाम भगवानलाल व अन्य) के प्रकरण में, प्रस्तुत यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भंडारी)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.पी.डी.एस. प्रकरण
राजसमन्द

8. आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10**.01.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनंत भंडारी)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.पी.डी.एस. प्रकरण,राजसमन्द